



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च 2015-चैत्र 6, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

यह है कि मैं प्रत्यूष सराफ पिता श्री कृष्णगोपाल सराफ, उम्र 23 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 8, पंचायती मंदिर के पास शहडोल, जिला शहडोल मध्यप्रदेश का हूँ.

मेरी अंकसूची में मेरे नाम की गलत स्पेलिंग होने के कारण प्रत्यूष (PRATYUSH) के जगह प्रेतूष (PRETUSH) दर्ज है जो कि गलत है. मैं अपने समस्त अंकसूची एवं डिग्री प्रमाण-पत्र में अपना नाम प्रत्यूष सराफ (PRATYUSH SARAF) दर्ज कराना चाहता हूँ, जो सत्य एवं सही है. अतः मुझे मेरे वास्तविक नाम प्रत्यूष सराफ के नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(प्रेतूष कुमार सराफ)

(PRETUSH KUMAR SARAF)

(684-बी.)

नया नाम :

(प्रत्यूष सराफ)

(PRATYUSH SARAF)

वार्ड नं. 8, पंचायती मंदिर के पास शहडोल,
जिला शहडोल (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मुझे Gulshan Kumar Soni गुलशन कुमार सोनी के नाम से जाना जाता था जो कि अब बदलकर Gulshan Kumar Arora गुलशन कुमार अरोरा हो गया है. अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम से Gulshan Kumar Arora गुलशन कुमार अरोरा के नाम से जाना जाये है.

पुराना नाम :

(GULSHAN KUMAR SONI)

(गुलशन कुमार सोनी)

(685-बी.)

नया नाम :

(GULSHAN KUMAR ARORA)

(गुलशन कुमार अरोरा)

E-8/162, रोहित नगर फेस-1, बाबड़ियाकलां,
भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

पूर्व में नाम नासिर खान लाला पिता कमालु खान लाला था. जो मैंने बदलकर नासिर खान पिता कमालु खान लाला रख लिया है.

पुराना नाम :

(नासिर खान लाला)

(690-बी.)

नया नाम :

(नासिर खान)

वार्ड नं. 15, रेल्वे स्टेशन के पास,
अकोडिया शाजापुर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, informed to all communities that it name earlier was Asha Shere. I have changed my name from Asha Shere. Residing at CM-II/88, M.I.G. Pandit Dindayal Upadhyay Nagar, Sukhliya Indore (M.P.) 452010, have change my name to Asha Soni by affidavit swron before the Notary public on 07-02-2014. Henceforth I shall be known as ASHA SONI for all future purposes.

Old Name :

(ASHA SHERE)

(688-B.)

New Name :

(ASHA SONI)

CM-II/88, M.I.G. Pandit Dindayal Upadhyay Nagar,
Sukhliya Indore (M.P.).**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे ज्येष्ठ अवयस्क पुत्र अविरल भारद्वाज, निवासी 211, गोयल विहार कॉलोनी, खजराना गणेश मंदिर के पास, इन्दौर (मध्यप्रदेश) का नाम बदलकर अविरल सिंह रख लिया है तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर ली है. अतः आज दिनांक से मेरे ज्येष्ठ पुत्र को अविरल सिंह के नाम से जाना-पहचाना जाएगा. सो विदित होवें.

दिलीप कुमार सिंह,

211, गोयल विहार, कॉलोनी,

खजराना गणेश मंदिर के पास, इन्दौर (म.प्र.).

(691-बी.)

जाहिर सूचना

मेसर्स एस. वी. कन्स्ट्रक्शन (भागीदारी फर्म) द्वारा पुनर्गठन कर दिनांक 01 अप्रैल, 2013 के द्वारा भागीदारगण—1. श्री मनीष शेड़ानी पिता श्री एस. जी. शेड़ानी, 2. श्री सुभाष बंसल पिता श्री मधुसुदनलाल बंसल व 3. श्री मनीष विजयवर्गीय पिता श्री जानकीलाल विजयवर्गीय को भागीदारी फर्म से सेवा निवृत्त कर दिया गया है. सदर सूचना-पत्र भागीदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित करवाया जा रहा है. अतः वर्तमान में सदर भागीदारी फर्म मेसर्स एस. वी. कन्स्ट्रक्शन में मुझ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के अतिरिक्त श्री विपीन बंसल पिता श्री मधुसुदनलाल बंसल भागीदार के रूप में शेष है. सूचनार्थ हेतु प्रेषित.

मेसर्स एस. वी. कन्स्ट्रक्शन तर्फे

सुनील कुमार पिता श्री जानकीलाल विजयवर्गीय,

विपीन बंसल पिता श्री मधुसुदनलाल बंसल.

(भागीदार).

(686-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स सुनील ऑटो मोबाईल्स स्थित सिरोंज रोड, आरोन, जिला गुना (म.प्र.) में दिनांक 26-06-2008 को भागीदार श्री दीपक कुमार पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास अग्रवाल, निवासी सदर बाजार, गुना (म.प्र.) का देहांत हो जाने से वह फर्म से स्वतः पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 29-06-2008 से श्रीमती कुमुद अग्रवाल पत्नी स्व. श्री दीपक अग्रवाल, निवासी सदर बाजार, गुना फर्म में सम्मिलित हो गई हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म—मैसर्स सुनील ऑटो मोबाईल्स,

आशीष अग्रवाल,

सिरोंज रोड, आरोन, जिला गुना (म.प्र.).

द्वारा—अमित सोगानी

(एडवोकेट)

(687-बी.)

सोगानी एण्ड कम्पनी, नया पुरा, गुना (म. प्र.).

फर्म में परिवर्तन की सूचना

भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत फर्म मेसर्स सतीशचंद्र कस्तूरीलाल, पार्टनरशिप फर्म पता-150, नवीन फल एवं सब्जी मण्डी तेजपुर गडबडी, इन्दौर के गठन में परिवर्तन के सम्बन्ध में सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि फर्म के भागीदार श्रीमती निर्मलादेवी पति कस्तूरीलाल फर्म में भागीदारी से पृथक् हो गए हैं तथा शेष भागीदारों द्वारा फर्म का कार्य संचालित किया जा रहा है. सो सूचित हो.

तर्फे : मैसर्स सतीशचंद्र कस्तूरीलाल,

कमल चौधरी,

शांति चौधरी

(भागीदार).

(689-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 13 मार्च, 2015

क्र. जी.बी./दो(7)/2015/752.—नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल में “ए” एवं “बी” आफसेट श्रेणी में जीवित पंजीकृत समस्त मुद्रकों से मुद्रण एवं अन्य सम्बन्धित विधाओं के कार्य कराने हेतु तकनीकी एवं कार्मशियल भाग की-डेट्स अनुसार ऑनलाईन ई-टेंडर <https://mpeproc.gov.in> से आमंत्रित की जाती है। तकनीकी भाग दिनांक 06 अप्रैल, 2015 को अपराह्न 3.30 बजे एवं निविदा का कार्मशियल भाग दिनांक 09 अप्रैल, 2015 को अपराह्न 2.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाऊनलोड की जावेगी।

ऑनलाईन तकनीकी भाग के परिशिष्ट-एक एवं दो की जानकारी की हार्डकापी, स्थापित मशीनों की सूची, नियम एवं शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

विज्ञप्ति, तकनीकी विवरण, नियम एवं शर्तों को <https://mpeproc.gov.in> पर अवलोकन हेतु रखा गया है।

अरूण तिवारी,

नियंत्रक,

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,

मध्यप्रदेश, भोपाल.

(174)

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिला दमोह

दमोह, दिनांक 24 फरवरी, 2015

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम-6 (1)]

प्र.क्र.01/ब-113(1)/14-15

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियमानुसार (1) के द्वारा]

क्र./स.न्यास/2015.—पंचान कुरैश मण्डी मस्जिद समिति, दमोह में अपनी समिति की ओर से यह कि बजरिया नं. 1, तहसील व जिला दमोह द्वारा श्री सईद कुरैशी पिता स्व. यूनस कुरैशी, उम्र 48 वर्ष अध्यक्ष ट्रस्ट कमेटी मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1954 का 30) धारा-4 के अंतर्गत एवं आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है। कि कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अधिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अर्वाधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम व पता	..	पंचान कुरैश मण्डी मस्जिद कमेटी.
सम्पत्ति का विवरण	..	पंचान कुरैश मण्डी मस्जिद कमेटी में भूमि मोजा कुलुवा उर्फ मारूताल, जिला दमोह खसरा नं. 1/22/0.607, 1/39/1.214.

मनोज कुमार ठाकुर,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(175)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी शहर एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष : रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

1. आवेदक सरदार गुरुदयाल सिंह, निवासी-10, हमीदिया रोड, भोपाल द्वारा उपस्थित होकर गुरुनानक गुरुमत प्रचार चैरीटेबल पब्लिक ट्रस्ट, भोपाल को मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है।

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 08 अप्रैल, 2015 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें, अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अधिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	: गुरूनानक गुरूमत प्रचार चैरीटेबल पब्लिक ट्रस्ट, 10 हमीदिया रोड, भोपाल.
कार्यालय का पता	: 10 हमीदिया रोड, भोपाल.
अचल सम्पत्ति	: निरंक.
चल सम्पत्ति	: रू. 14, 99, 960/-.

सुनील राज नायर,
रजिस्ट्रार.

(193)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, अनुभाग देवास

देवास, दिनांक 02 मार्च, 2015

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

क्र./1454/रीडर-1/15.—श्री अशोक वर्मा, अध्यक्ष मालवीय सैन समाज ट्रस्ट देवास की ओर से “मालवी सैन समाज धर्मशाला ट्रस्ट” के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. आवेदन-पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा-पत्र उद्देश्य नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूपरेखा आदि के साथ संलग्न किया गया है. ट्रस्ट पंजीयन के संबंध में चालान क्रमांक 28 दिनांक 02 मार्च, 2015 से भारतीय स्टेट बैंक, मोतीबंगला शाखा, देवास में पंजीयन शुल्क रुपये 5/- की राशि जमा कर चालान की प्रति संलग्न की गई है.

अतः “मालवी सैन समाज धर्मशाला ट्रस्ट” न्यास देवास के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति आगामी पेशी दिनांक 07 अप्रैल, 2015 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. नियत समयवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

आज दिनांक 02 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई.

धीरज श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(194)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1735, धार, दिनांक 27 नवम्बर, 2014 के अनुसार चंबल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डेहरी सराय, तहसील व जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1238, दिनांक 12 दिसम्बर, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयवधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नियत दिनांक को सूचना-पत्र प्राप्त के उपरान्त संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. इससे स्पष्ट होता है कि उन्हे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी “डी” वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग की चंबल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डेहरी सराय, तहसील व जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(170-Z)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1691, धार, दिनांक 25 नवम्बर, 2014 के अनुसार बालाजी ईट भट्टा सहकारी संस्था मर्या., तिरला (राजगढ़), तहसील सरदारपुर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 810, दिनांक 27 मार्च, 1992 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नियत दिनांक को सूचना-पत्र प्राप्ति के उपरान्त संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. इससे स्पष्ट होता है कि उन्हे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग बालाजी ईट भट्टा सहकारी संस्था मर्या., तिरला (राजगढ़), तहसील सरदारपुर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रदीप पाठक, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(177-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1709, धार, दिनांक 25 नवम्बर, 2014 के अनुसार आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., फरसपुरा, तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1018, दिनांक 23 जून, 1998 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नियत दिनांक को सूचना-पत्र प्राप्ति के उपरान्त संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. इससे स्पष्ट होता है कि उन्हे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग की आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., फरसपुरा, तहसील मनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रदीप पाठक, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(177-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1708, धार, दिनांक 25 नवम्बर, 2014 के अनुसार अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेजवानी, तहसील व जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1234, दिनांक 15 दिसम्बर, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नियत दिनांक को संस्था सचिव उपस्थित हुए और उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया. जिसमें संस्था द्वारा पंजीयन पश्चात् कोई कार्य नहीं करने तथा सदस्यगढ़ कार्य में रुचि नहीं लेने से संस्था को परिसमापन में लाने हेतु निवेदन किया गया. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग की अन्नपूर्णा

बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेजवानी, तहसील व जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री सी. बी. पाण्डे, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(177-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1751, धार, दिनांक 27 नवम्बर, 2014 के अनुसार मयूर आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बडगांव, तहसील कुक्षी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1025, दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नियत दिनांक को संस्था अध्यक्ष उपस्थित हुए और उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया. जिसमें संस्था को मत्स्य पट्टा आर्बिट्रि नही होना, समयावधि में निर्वाचन नहीं करवाना एवं वर्ष 2007 से अकार्यशील होने का उल्लेख किया गया. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग की मयूर आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बडगांव, तहसील कुक्षी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री सी. बी. पाण्डे, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(177-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1705, धार, दिनांक 25 नवम्बर, 2014 के अनुसार जय भैरवनाथ मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., आमखेडा, तहसील व जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1124, दिनांक 01 दिसम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र पंजीकृत डाक से जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा था. रजिस्ट्री ए. डी. सहित वापस प्राप्त जिसमें डाक विभाग द्वारा इस पते पर संस्था एवं अध्यक्ष नहीं मिले, ऐसा लिखा गया है. कार्यालय द्वारा पूर्ण पता लिखने के उपरान्त संस्था एवं अध्यक्ष उक्त पते पर न होना नियम विरुद्ध है. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग की जय भैरवनाथ मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., आमखेडा, तहसील व जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री सी. बी. पाण्डे, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(177-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1742, धार, दिनांक 27 नवम्बर, 2014 के अनुसार अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ननोदा, तहसील कुक्षी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1248, दिनांक 28 मार्च, 2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नियत दिनांक को सूचना-पत्र प्राप्ति के उपरान्त संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. इससे स्पष्ट होता है कि उन्हे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग की अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ननोदा, तहसील कुशी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. चौहान, वरि. सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(177-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1695, धार, दिनांक 25 नवम्बर, 2014 के अनुसार बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिंघाना, तहसील मनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1245, दिनांक 05 जून, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नियत दिनांक को संस्था के सदस्य उपस्थित हुए और उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें संस्था द्वारा पंजीयन पश्चात् कोई कार्य नहीं करने तथा सदस्यगण कार्य में रुचि नहीं लेने से संस्था को परिसमापन में लाने हेतु निवेदन किया गया. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है. इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग की बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिंघाना, तहसील मनावर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. चौहान, वरि. सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(177-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1739, धार, दिनांक 27 नवम्बर, 2014 के अनुसार वसुन्धरा एग्रो. को. ऑप. सर्विस एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., धार, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1169, दिनांक 19 मार्च, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. सूचना-पत्र प्राप्ति के उपरान्त नियत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग की वसुन्धरा एग्रो. को. ऑप. सर्विस एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., धार, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. चौहान, वरि. सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(177-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2009/839, धार, दिनांक 30 जून, 2009 के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दंतोली वि. ख. सरदारपुर, जिला धार, को परिसमापन में लाया गया था, परन्तु कार्यालय के आदेश क्र./निर्वा./2011/2293, दिनांक 26 दिसम्बर, 2011 से उक्त संस्था के निर्वाचन के आदेश जारी होने से निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन करा दिये गये. जिनकी सम्पूर्ण निर्वाचन कार्यवाही दिनांक 01 मार्च, 2012 को सम्पन्न हुई. संस्था के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में संस्था को कार्यशील दर्शाते हुए निर्वाचन होने का उल्लेख किया है. प्रबंधक (क्षेत्र संचालक) इन्दौर दुग्ध सहकारी संघ, धार के द्वारा भी संस्था को निरन्तर कार्यशील दर्शाते हुए परिसमापन आदेश निरस्त करने हेतु लिखा गया है.

परिसमापक एवं प्रबंधक (क्षेत्र संचालक) इन्दौर दुग्ध सहकारी संघ धार के प्रतिवेदन अनुसार संस्था के कार्यशील होने तथा संचालक मण्डल का निर्वाचन होकर कार्यकाल 28 फरवरी, 2017 तक शेष रहने से संस्था एवं सदस्यों के हित में मैं ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-19-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत कार्यालय द्वारा जारी परिसमापन आदेश क्र./परिसमापन/2009/839, दिनांक 30 जून, 2009 एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(177)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1746, धार, दिनांक 27 नवम्बर, 2014 के अनुसार श्री श्याम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पटलावद, तहसील धरमपुरी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1262, दिनांक 07 जून, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नियत दिनांक को संस्था अध्यक्ष उपस्थित हुए और उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें संस्था द्वारा पंजीयन पश्चात् कोई कार्य नहीं करने तथा सदस्यगण कार्य में रुचि नहीं लेने से संस्था को परिसमापन में लाने हेतु निवेदन किया गया. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग की श्री श्याम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पटलावद, तहसील धरमपुरी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रदीप पाठक, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(177-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1697, धार, दिनांक 25 नवम्बर, 2014 के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टाण्डाखेडा, तहसील सरदारपुर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1048, दिनांक 25 फरवरी, 2000 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नियत दिनांक को संस्था के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुए और न ही जवाब प्राप्त हुआ. प्रबंधक (क्षेत्र संचालक) दुग्ध संयंत्र, इन्दौर क्षेत्र धार एवं सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग की दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टाण्डाखेडा, तहसील सरदारपुर, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रदीप पाठक, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(177-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1736, धार, दिनांक 27 नवम्बर, 2014 के अनुसार अनुसरा सपना आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., खरगोन, तहसील कुशी, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1016, दिनांक 10 जून, 1998 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयावधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. परन्तु जारी सूचना-पत्र संस्था पदाधिकारी द्वारा नहीं लिया गया. नियत दिनांक पर कोई भी पदाधिकारी/सचिव उपस्थित

नहीं हुआ और न ही जवाब प्राप्त हुआ. संस्था पदाधिकारी द्वारा सूचना-पत्र न लेकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग की सपना आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., खरगोन, तहसील कुशी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. चौहान, वरि. सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(177-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1745, धार, दिनांक 27 नवम्बर, 2014 के अनुसार जिला वृक्ष सहकारी यूनियन (संघ) मर्या., धार, तहसील व जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 807, दिनांक 01 नवम्बर, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं निर्धारित समयवधि में जवाब मय साक्ष्य चाहा गया था. नियत दिनांक को सूचना-पत्र प्राप्ति के उपरान्त संघ के पदाधिकारी/सचिव उपस्थित नहीं हुये और न ही जवाब प्राप्त हुआ. इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला धार द्वारा भी संघ अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने की अनुसंशा की गई है. संघ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा है एवं विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट में भी "डी" वर्ग देने से स्पष्ट होता है कि संघ अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारिता विभाग की जिला वृक्ष सहकारी यूनियन (संघ) मर्या., धार, तहसील व जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. डी. माधवाचार्य, वरि. सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

ओ. पी. गुप्ता,

उप-रजिस्ट्रार.

(177-L)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 16 मार्च, 2015

[म. प्र. सहकारी समितियां नियम, 1962 के उप-नियम-57 (1)(सी/ग) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टाण्डाखेडा	1048/25-02-2000	144/30-01-2015
2.	बालाजी ईट भट्टा सहकारी संस्था मर्या., तिरला (राजगढ़)	810/27-03-1992	145/30-01-2015
3.	आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., फरसपुरा	1018/23-06-1998	146/30-01-2015
4.	श्री श्याम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पटलावद	1262/07-06-2010	143/30-01-2015

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के उपनियम 57 (1)(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मार्च, 2015 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(176)

प्रदीप पाठक,

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 30 जनवरी, 2015

क्र./परि./2014/178.—जय भेरूबाबा मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, निसकाय, जिसका पंजीयन क्रमांक/स.प.दे./1206, दिनांक 04 अक्टूबर, 2008 है तहसील सतवास, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्रीमती प्रेरणा जाम्भेकर, उप-अंकेक्षक को आदेश क्रमांक 320, दिनांक 31 जनवरी, 2013 से परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा दिनांक 15 जनवरी, 2013 आयोजित कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्यों के आर्थिक उन्नति के हित में संस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। सहकारिता के विस्तार की दृष्टि से संस्था को पुनर्जीवित करना उचित है तथा परिसमापक के प्रस्ताव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व बना रहना उचित है एवं उसे पुनर्जीवित करना उचित है।

अतः मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास (म.प्र.) शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा-3 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय भेरूबाबा मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, निसकाय, तहसील सतवास, जिला देवास को परिसमापन में लाने हेतु जारी किये गये, आदेश को निरस्त करते हुए इस आदेश के तहत पुनर्जीवित करता हूँ तथा निर्देश देता हूँ कि तीन माह में संस्था अपना निर्वाचन पूर्ण करावे।

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

(178)

के. एन. त्रिपाठी,

उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र. 434, दिनांक 16 सितम्बर, 2012 के द्वारा लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कानाकाकड़, तहसील जोबट, जिला अलीराजपुर जिसका पंजीयन क्र. 992, दिनांक 20 जनवरी, 2004 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री आई. डी. सर्राफ, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(179)

अम्बरीष वैद्य,

उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 11 मार्च, 2015

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1998/597, विदिशा, दिनांक 21 मई, 1998 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पगरानी,

तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./436, दिनांक 21 मई, 1992 को परिसमापन में लाया जाकर श्री व्ही. के. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पगरानी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पगरानी, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./436, दिनांक 21 मई, 1992 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 11 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(180)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

सतपुड़ा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., उमरिया, तहसील कसरावद, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./1135, दिनांक 04 जून, 1997 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2014/18 जून, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापकों द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है। जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के विज्ञापित क्र./एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सतपुड़ा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., उमरिया, तहसील कसरावद, जिला खरगोन का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(181)

कार्यालय डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य,

द्वारा-श्री तमन विश्वास अध्यक्ष,

कृषि सहकारी समिति मर्या., ठकुरपुरा, जिला छतरपुर म.प्र.

एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि कृषि सहकारी समिति मर्या., ठकुरपुरा, (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) पंजीयन क्रमांक 1241, दिनांक 22 फरवरी, 2010 की अंकेक्षण टीप वर्ष 2011-12 का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि उक्त संस्था के वर्ष 2011-12 के अंकेक्षक द्वारा अपनी अंकेक्षण टीप में यह लेख किया गया है कि संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है तथा पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है एवं कोई भी रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होगा। संस्था के वर्ष 2011-12 के अंकेक्षक की उक्त टीप से यह स्पष्ट होता है कि :-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है।

2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
6. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(182)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य,
द्वारा-प्रशासक
लोकेन्द्र विपणन सहकारी समिति मर्या., बक्सवाहा.

एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि लोकेन्द्र विपणन सहकारी समिति मर्या., बक्सवाहा (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संचालक मण्डल का निर्वाचन न होने के कारण संस्था के प्रशासक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/निर्वा./2013/1031, दिनांक 17 सितम्बर, 2013 के द्वारा लेख किया गया था. लेकिन संस्था के प्रशासक द्वारा यह लेख किया गया है कि संस्था अपने पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है तथा संस्था के बचत/चालू खाते में कोई राशि नहीं है. जिसके कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है. इसके साथ ही संस्था में कोई कर्मचारी एवं रिकार्ड उपलब्ध नहीं है. अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होगा.

संस्था के प्रभारी अधिकारी/प्रशासक द्वारा प्रेषित उक्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि :-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा वर्ष 2012-13 से संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधानों का अनुपालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं जिसके कारण संस्था अकार्यशील है.
6. संस्था के संचालक मण्डल का पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

उक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि संस्था ने युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में संस्था की आम सभा आहूत कर आम सभा के समक्ष यह सूचना-पत्र विचारार्थ रख कर एक माह के भीतर इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करें. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको उक्त के संबंध में कुछ नहीं कहना है. तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 13 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(182-A)

अखिलेश कुमार निगम,
डिप्टी रजिस्ट्रार.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/222.— कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बैतूल जिला बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/14/567, दिनांक 26 जुलाई, 2014 के द्वारा मुझे निम्नानुसार सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोंढरखापा	1496/22-12-2004	567/26-07-2014
2.	डॉ. अम्बेडकर रूई धुनकर सह. संस्था मर्या., आमला	1620/22-02-2010	567/26-07-2014

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं राजेश वडयालकर, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

राजेश वडयालकर,

परिसमापक.

(183)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/223.— कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बैतूल जिला बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नानुसार सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भयावाड़ी	1581/14-08-2008	770/31-08-2013
2.	आदिवासी एकता ईट उद्योग सह. संस्था मर्या., टेटर	1547/24-02-2007	566/26-07-2014
3.	माधव वनोपज संग्रहण विकास उद्योग सह. संस्था मर्या., कुप्पा	1548/24-02-2007	566/26-07-2014
4.	जय दुर्गा बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., शाहपुर	1641/22-11-2010	566/26-07-2014

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं बसंत मगरदे, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

बसंत मगरदे,

परिसमापक.

(184)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 11 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/224.— कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बैतूल जिला बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नानुसार सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नयेगांव	1417/15-02-2000	572/26-07-2014
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोरपानी	1631/15-02-2010	572/26-07-2014
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सातनेर	1482/18-05-2000	572/26-07-2014
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सहनगांव	1484/18-06-2004	574/26-07-2014
5.	हरिओम बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., गुनखेड़	1629/22-04-2010	572/26-07-2014

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं के. एल. राठौर, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

के. एल. राठौर,
परिसमापक.

(185)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 05 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/148.— कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बैतूल जिला बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नानुसार सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खोकरा	1602/12-02-2009	570/26-07-2014
2.	एम.पी.ई.बी. कर्म. उपभोक्ता भण्डार मर्या., सारणी	815/01-10-1985	469/21-06-2013
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डोरी	1599/12-02-2009	570/26-07-2014
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खारी	1607/29-08-2009	570/26-07-2014

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं एच. एस. कपूरे, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया

जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

एच. एम. कपूरे,
परिसमापक.

(186)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बैतूल, जिला बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नानुसार सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीसाझोड़ी	1544/29-11-2006	569/26-07-2014
2.	पुलिस कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., बैतूल	1415/30-03-2000	569/26-07-2014

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं, टी.आर. सावले, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्थाओं के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

टी. आर. सावले,
परिसमापक.

(187)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बैतूल, जिला बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नानुसार सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतनपुर	1567/10-09-2007	769/31-08-2013
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उमनढाना	1572/17-12-2007	568/26-07-2014
3.	आदिवासी महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., हिड़ली	1404/18-05-1995	769/31-08-2013

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं, सी. एल. डोंगरे, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्थाओं के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

सी. एल. डोंगरे,
परिसमापक.

(188)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 03 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/297.— कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बैतूल, जिला बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नानुसार सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., केरपानी	1520/22-11-2005	573/26-07-2014
2.	जनता प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., भैंसदेही	1246/31-12-1990	573/26-07-2014
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विजयग्राम	936/22-11-1978	573/26-07-2014
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निपान्या	1412/15-02-2000	573/26-07-2014
5.	आदिवासी मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., सिरजगांव	1619/02-02-2010	573/26-07-2014
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिरजगांव	1593/03-12-2008	573/26-07-2014
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोयलारी	1595/30-12-2008	573/26-07-2014
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सरांडी	1568/10-02-2007	573/26-07-2014

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं, एन. एल. कुशवाह, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्थाओं के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

एन. एल. कुशवाह,

परिसमापक.

(189)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 03 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/298.— कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बैतूल, जिला बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नानुसार सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खल्ला	1087/29-03-1984	772/31-08-2013
2.	आदर्श हस्तकला महिला गृह उद्योग सह. सं. मर्या., कान्हाखापा	1540/31-10-2006	772/31-08-2013
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लिहदा	1523/20-12-2005	772/31-08-2013
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निमनवाड़ा	1402/30-12-1999	571/26-07-2014
5.	भाभु लक्ष्मी महिला गृह उद्योग सह. सं. मर्या., मुलताई	1640/01-11-2010	571/26-07-2014

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं, सुधीर मोने, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्थाओं के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

सुधीर मोने,
परिसमापक.

(190)

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी समितियां, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 17 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/429.—राजपत्रित अधिकारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./185, दिनांक 10 जनवरी, 1992 है, को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2012/2452, दिनांक 24 नवम्बर, 2012 से परिसमापन में लाया गया था. जिसके परिसमापक श्री एस. सी. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था को पुर्नजीवित करने हेतु अनुशंसा की है. इस बाबत संस्था की आमसभा दिनांक 01 फरवरी, 2015 को आयोजित की गई, आमसभा के प्रस्ताव क्रमांक 01 से संस्था को पुर्नजीवित किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है तथा निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्य संस्था को पुनः क्रियाशील कर कार्य योजना के आधार पर कार्य कर संस्था को एक सक्षम इकाई बनाया जावेगा एवं तय किया गया कि संस्था के सभी सदस्य मिलकर सहकारी विधान एवं संस्था की उपविधि अनुसार संस्था का संचालन करेंगे.

अतः मैं, आर. के. वाजपेयी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर परिसमापक की अनुशंसा एवं संस्था के सदस्यों के आर्थिक हितों को दृष्टिगत रखते हुये संस्था की क्रियाशील एवं सक्षम इकाई होने की संभावना के आधार पर मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत संस्था का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ तथा सदस्यों से अपेक्षा करता हूँ कि आदेश दिनांक से तीन माह की अवधि में संस्था को क्रियाशील कर प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करायें. संस्था के कार्य संचालन हेतु संस्था की आमसभा द्वारा निम्नानुसार गठित कार्यकारिणी समिति को नामांकित किया जाता है.

1.	डॉ. रामेश्वरदयाल मिश्रा	अध्यक्ष
2.	श्री एम. पी. श्रीवास्तव	उपाध्यक्ष
3.	डॉ. एस. के. सक्सेना	उपाध्यक्ष
4.	श्रीमती मन्जू शर्मा	सदस्य
5.	श्रीमती उत्तरासिंह भदौरिया	सदस्य
6.	श्री ओ. पी. देवपुरिया	सदस्य
7.	श्री बी. डी. शर्मा	सदस्य
8.	श्री यू. एन. शहाणे	सदस्य
9.	श्री. वी. के. दीक्षित	सदस्य
10.	श्री महेश बित्थरिया	सदस्य
11.	एक पद रिक्त-अनु. जाति वर्ग	

उक्त प्रबंध कार्यकारिणी समिति को निर्देशित किया जाता है कि संस्था तीन माह के अन्दर नवीन प्रबंध कार्यकारिणी समिति के निर्वाचन हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल को विधिवत् आवेदन कर निर्वाचन करावें.

यह आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. वाजपेयी,
उप-पंजीयक.

(191)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं उज्जैन, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	पत्रकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	45/01-01-1968
2.	एकता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1619/30-07-1903
3.	विक्रम विश्वविद्यालय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	63/06-04-1979
4.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	40/13-02-1990
5.	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	49/27-05-1971
6.	मधवी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	139/31-03-1979
7.	कालीदास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	79/20-08-1981
8.	धनंजय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	130/28-07-1987
9.	महावीर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	70/02-02-1981
10.	मगंतुग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1535/10-10-2000
11.	हरिओम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1592/21-08-2002
12.	विद्याता साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	65/03-09-2003
13.	भविष्य निधि साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	16/27-11-2001
14.	मालवा साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	50/14-05-2003
15.	शिवशक्ति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	112/25-05-2009
16.	धनवर्षा परस्पर साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	118/03-10-2009
17.	सुरज बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	90/27-02-2008
18.	अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	24/01-05-2002

उपरोक्त संस्थाएं अकार्यशील हैं एवं उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्थाओं के पदाधिकारीगण संस्थाओं का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्थाओं का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4
1.	पत्रकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	45/01-01-1968	श्री एम. एस. चौरसिया, व. स. नि.
2.	एकता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1619/30-07-03	श्री एम. एस. चौरसिया, व. स. नि.
3.	विक्रम विश्वविद्यालय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	63/06-04-1979	श्री एम. एस. चौरसिया, व. स. नि.
4.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	40/13-02-1990	श्री एम. एस. चौरसिया, व. स. नि.

1	2	3	4
5.	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	49/27-05-1971	श्री एम. एस. चौरसिया, व. स. नि.
6.	मधवी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	139/31-03-1979	श्री एम. एस. चौरसिया, व. स. नि.
7.	कालीदास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	79/20-08-1981	श्री एम. एस. चौरसिया, व. स. नि.
8.	धनंजय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	130/28-07-1987	श्री एम. एस. चौरसिया, व. स. नि.
9.	महावीर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	70/02-02-1981	श्री एम. एस. चौरसिया, व. स. नि.
10.	मंगंतुग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1535/10-10-2000	श्री एम. एस. चौरसिया, व. स. नि.
11.	हरिओम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1592/21-08-2002	श्री एम. एस. चौरसिया, व. स. नि.
12.	विद्याता साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	65/03-09-2003	श्री सी. एस. असोडिया, स. नि.
13.	भविष्य निधि साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	16/27-11-2001	श्री सी. एस. असोडिया, स. नि.
14.	मालवा साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	50/14-05-2003	श्री सी. एस. असोडिया, स. नि.
15.	शिवशक्ति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	112/25-05-2009	श्री सी. एस. असोडिया, स. नि.
16.	धनवर्षा परस्पर साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	118/03-10-2009	श्री सी. एस. असोडिया, स. नि.
17.	सुरज बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	90/27-02-2008	श्री राजीव लोचन नागर, स. नि.
18.	अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	24/01-05-2002	श्री राजीव लोचन नागर, स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 09 मार्च, 2015 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(192)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/556, दिनांक 08 मार्च, 2013 द्वारा साबरिया बीज उत्पादक सहकारिता मर्या., घुड़ावन, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 122, दिनांक 18 मई, 2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. एस. कनेल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(192-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/1791, दिनांक 25 नवम्बर, 2011 द्वारा हीरा मिल मण्डल परस्पर साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 4090, दिनांक 17 दिसम्बर, 1947 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(192-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र.1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा पदमावती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., धूमाखेड़ा, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1626, दिनांक 05 फरवरी, 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संतोष सांकलियाँ, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(192-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र.1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा लालमाता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खोकरी, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1634, दिनांक 10 फरवरी, 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री संतोष सांकलियाँ, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,

उप-पंजीयक.

(192-D)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च 2015-चैत्र 6, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.
2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर, सागर, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, मंदसौर, झाबुआ, धार, भोपाल, सीहोर, बैतूल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिण्डोरी व सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
3. **बोनी.**—जिला धार में फसल गेहूँ व मुरैना में गेहूँ, चना व श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, सागर, दमोह, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, मंदसौर, उज्जैन, आगर, झाबुआ, खरगौन, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर, कटनी, डिण्डोरी व सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
4. **फसल स्थिति.**—
5. **कटाई.**—जिला दतिया, अनूपपुर, डिण्डोरी, सिवनी, बालाघाट में फसल धान व पन्ना में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, दमोह, सतना, शहडोल, उमरिया, विदिशा, नरसिंहपुर व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. गेहूँ व चना की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द, मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..				
2. कराहल	..				
3. विजयपुर	..				
*जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	..				
2. डबरा	..				
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मूँगफली समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) उड़द अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) चना, गेहूँ, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ज्वार, गन्ना, चना, राई-सरसों, जौ, गेहूँ, मटर, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	..		4. (1) ज्वार, तुअर अधिक. तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) मूँग अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) ..		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, तुअर, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर अधिक. गेहूँ, अलसी, सरसों कम. चना, मसूर समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) राई-सरसों अधिक. गेहूँ, चना, मसूर कम. अलसी, जौ, अरहर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंधर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकुर्लियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, कोदों-कुटकी, तुअर, सोयाबीन. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, राहर, कोदों-कुटकी कम. रामतिल समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, अरहर, चना, राई-सरसों, अलसी सोयाबीन अधिक. गेहूँ कम. तिल समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सिंहावल	..		(2) ..		
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
*जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..		4. (1) गेहूँ अधिक. चना, रायडा समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धुका	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		तिल, मूँगफली कम. तुवर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	..		(2) ..		
*जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावरा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़ौद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..		
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसल गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, तुअर, उड़द कम. धान, कपास समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, उड़द, मूँग, सोयाबीन, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, कपास, मूँगफली अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
*जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सांवेर	..		(2) ..		
3. इन्दौर	..				
4. महु (डॉ. अम्बेडकरनगर)	..				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. रबी की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली अधिक. ज्वार, धान, तुअर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) कपास, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..		(2) ..		
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, मक्का, तेवड़ा, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		तुअर, गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोरा	..		4. (1) धान, मूँग, उड़द, सोयाबीन, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		तुअर अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. मझौली	..				
5. कुण्डमपुर	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		गेहूँ, जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना अधिक. सोयाबीन कम. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेगांव 5. तेन्दूखेड़ा				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर, कोदों-कुटकी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. शाहपुरा				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा 2. जुन्नारदेव 3. परासिया 4. जामई (तामिया) 5. सोंसर 6. पांडुर्णा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. बिछुआ 10. हरई 11. मोहखेड़ा				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादौन 4. बरघाट 5. उरई 6. घंसौर 7. घनोरा 8. छपारा				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कटंगी 6. किरनापुर				

टीप.— जिला भिण्ड, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, देवास, इन्दौर, बड़वानी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(173)